कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म0प्र0

क्रमांक................/ निर्वाह / 26 रायसेन,दिनांक / /2026

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय
जनसंपर्क भवन भोपाल म.प्र.

विषयः– जिला जेल रायसेन की द्वितीय वार्षिक निविदा सूचना वर्ष 2026–27 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने बावत्।

संदर्भः– जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 7198 / निर्वाह शाखा / 2026 भोपाल दि. 20.04.2026

..........................00..............................

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा जिला जेल रायसेन में परिरूद्ध बंदियों हेतु खाद्यान्न, सब्जियां एवं स्वच्छता सामग्री इत्यादि क्रय करने हेतु **द्वितीय वार्षिक निविदाऐं वर्ष 2026–27 ई–टेण्डरिंग पद्धति (Online System) के माध्यम से निविदा की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**

अतः ई–निविदा विज्ञप्ति की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न आपकी ओर ऑनलाईन प्रेषित कर निवेदन है, कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम 01 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में एवं दो राज्य स्तरी समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से दिनांक 03.06.2026 के 02 सप्ताह पूर्व कराने का कष्ट करें।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

पृ.क्र. ..../ स्थापना. / 2026 **रायसेन दिनांक / /2026**

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. भोपाल की ओर ई–निविदा विज्ञप्ति की 01 प्रति प्रेषित कर निवेदन है, कि ई–निविदा विज्ञप्ति को जेल मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु सादर प्रेषित।
2. जिलाध्यक्ष रायसेन की ओर निविदा की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायसेन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि क्रय समिति की बैठक में सम्मिलित होने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने की तिथि दि. 05.06.2026 एवं 09.06.2026 को दोपहर 12:30 बजे इस कार्यालय में उपस्थित होने की कृपा करें।
4. तहसीलदार तहसील– रायसेन की ओर सूची संलग्न कर अनुरोध है कि सूची में दर्शायी गयी सामग्रियों का स्थानीय बाजार भाव दिनांक 05.06.2026 के एक दिन पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी रायसेन की ओर निविदा सूचना भेजकर अनुरोध है कि निविदा सूचना का प्रचार–प्रसार रायसेन शहर में कराने का कष्ट करें।
6. पंजीयक सहकारी समितियां रायसेन।
7. प्रबंधक लघु उद्योग निगम रायसेन।
8. प्रबंधक विपणन संघ रायसेन।
9. अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन की ओर सूची प्रेषित कर अनुरोध है कि सूची में दर्शायी गयी सामग्रियों का स्थानीय बाजार भाव दिनांक 05.06.2026 के एक दिन पूर्व इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल / जिला जेल विदिशा / सीहोर / राजगढ़ / उप जेल बरेली / गौहरगंज / बेगमगंज / गंजबासौदा की ओर निविदा सूचना भेजकर अनुरोध है कि निविदा सूचना का प्रचार–प्रसार स्थानीय व्यापारियों को टीप कराई जाकर निविदा सूचना अभिलेख हेतु इस कार्यालय को वापिस भेजने का कष्ट करें।
11. स्थानीय व्यापारियों को टीप कराने बावत्।

सूचना पटल जिला जेल रायसेन एवं ई–टेण्डरिंग वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर लोड करने हेतु।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म0प्र0

Office No. 07482-298572 , Email ID. – jsdjrsn@mp.gov.in

पत्र क्र.   /निर्वाह/2026   रायसेन, दिनांक   /   /2026

ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना
वर्ष 2026–27
(द्वितीय आमंत्रण)

म.प्र. जेल पूर्ति नियम 1968 एवं म.प्र. भण्डार क्रय करने नियम 2015(यथा संशोधित–2022) के अंतर्गत जिला जेल रायसेन में परिरूद्ध बंदियों हेतु खाद्यान्न, सब्जियां, दवाईयां, स्वच्छता सामग्री एवं भवन निर्माण सामग्री इत्यादि क्रय करने हेतु द्वितीय वार्षिक ई निविदा विज्ञप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है।

ई–निविदा कार्यक्रम का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
01	प्री–विड मीटिंग	दि. 02.06.2026 दोपहर 12:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन
02	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि	दि. 03.06.2026 शाम 05:30 बजे तक	वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर फार्म ऑनलाईन क्रय किये जा सकेगें।
03	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दि. 03.06.2026 शाम 05:30 बजे तक	वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी।
04	नमूने जमा करने की अंतिम तिथि (उक्त दिनांक को नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण भी किया जावेगा)	दि. 03.06.2026 शाम 05:30 बजे तक	कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दि. 05.06.2026 दोपहर 12:30 बजे तक	कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन
05	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दि. 09.06.2026 दोपहर 12:30 बजे तक	कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन

ई–निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाईड **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ई–निविदा में किया गया कोई भी संशोधन वेबसाईड **www.mptenders.gov.in** पर अपलोड किया जावेगा, इसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जायेगी।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

निविदा सूचना

फार्म–(अ) नियम 6 देखिये

वार्षिक ठेका

वर्ष 2026–27 में बंदियों हेतु खादय सामग्रियों की सूची

खण्ड– (अ)

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमति मात्रा	किस्म	कैफियत
1	गेंहूँ	570 क्विंटल	औसत किस्म	शासकीय / अर्धशासकीय संस्था से प्राप्त न होन पर ही क्रय किया जावेगा।
2	चावल	150 क्विंटल	औसत किस्म	————————
3	तुअर दाल	30 क्विंटल	औसत किस्म	————————
4	मूंगदाल छिलका	27 क्विंटल	औसत किस्म	————————
5	मसूर दाल छिलका	17 क्विंटल	औसत किस्म	————————
6	उड़द दाल छिलका	19 क्विंटल	औसत किस्म	————————
7	चना दाल	29 क्विंटल	औसत किस्म	————————
8	सोयाबीन तेल रिफाइन्ड पैक टीन में	27 क्विंटल	औसत किस्म	पैक टीन में शुद्ध वजन के आधार पर लिया जावेगा (तेल ब्राण्ड का नाम लिखें) सोयम / प्रोटीन / न्यूट्रीला
9	ईमली बीज रहित	06 क्विंटल	औसत किस्म	————————
10	नमक पिसा आयोडीन युक्त	21 क्विंटल	औसत किस्म	भास्कर / टाटा
11	साबुदाना	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
12	शक्कर बड़ा दाना	30 क्विंटल	औसत किस्म	शासकीय / अर्धशासकीय संस्था से प्राप्त न होने पर ही क्रय किया जावेगा।
13	मूंगफली दाना	04 क्विंटल	औसत किस्म	————————
14	वनस्पति घी	06 क्विंटल	औसत किस्म	पैक टीन में शुद्ध वजन के आधार पर लिया जावेगा (घी ब्राण्ड का नाम लिखें)
15	गुड़	12 क्विंटल	औसत किस्म	————————
16	देशी कच्चा चना	16 क्विंटल	औसत किस्म	————————
17	पोहा	14 क्विंटल	औसत किस्म	————————
18	राई	01 क्विंटल	औसत किस्म	————————
19	चाय पत्ती	07 क्विंटल	औसत किस्म	डिस्ट्रीब्यूटर्स / स्टाकिस्ट / एजेन्सी से प्राप्त न होने पर ही क्रय किया जावेगा (ब्राण्ड नाम सहित)
20	मिर्च पाउडर	03 क्विंटल	औसत किस्म	खादी ग्रामोद्योग से प्राप्त न होने पर ही क्रय किया जावेगा
21	धनिया पाउडर	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
22	हल्दी पाउडर	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
23	पिसा गरम मसाला	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
24	दही ताजा	12 क्विंटल	औसत किस्म	————————
25	भुना चना	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

निविदा सूचना

फार्म—(अ) नियम 6 देखिये

वार्षिक ठेका

वर्ष 2026—27 में बंदियों हेतु सब्जियों की सूची

वार्षिक सब्जियां

खण्ड— (ब)

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमति मात्रा	किस्म	कैफियत
1	आलू	30 क्विंटल	औसत किस्म	
2	प्याज सूखी बड़ी साईज	05 क्विंटल	औसत किस्म	
3	लौकी	25 क्विंटल	औसत किस्म	
4	पालक	17 क्विंटल	औसत किस्म	
5	पत्ता गोभी	15 क्विंटल	औसत किस्म	
6	फूल गोभी	14 क्विंटल	औसत किस्म	
7	भिण्डी	14 क्विंटल	औसत किस्म	
8	टिण्डा	12 क्विंटल	औसत किस्म	
9	गिलकी	16 क्विंटल	औसत किस्म	
10	कद्दू	21 क्विंटल	औसत किस्म	
11	बैंगन	24 क्विंटल	औसत किस्म	
12	पका टमाटर	12 क्विंटल	औसत किस्म	
13	हरी मिर्च	04 क्विंटल	औसत किस्म	
14	हरी धनिया	03 क्विंटल	औसत किस्म	
15	मैथी भाजी	11 क्विंटल	औसत किस्म	
16	अरबी	09 क्विंटल	औसत किस्म	
17	बरवटी	08 क्विंटल	औसत किस्म	
18	मूली भाजी	04 क्विंटल	औसत किस्म	
19	हरी मटर फली	04 क्विंटल	औसत किस्म	
20	सेम फली	05 क्विंटल	औसत किस्म	
21	ककड़ी	04 क्विंटल	औसत किस्म	
22	गाजर	04 क्विंटल	औसत किस्म	
23	सेबफल	02 क्विंटल	औसत किस्म	

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

निविदा सूचना फार्म–(अ) नियम 6 देखिये

वार्षिक ठेका वर्ष 2026–27 में बंदियों हेतु स्वच्छता सामग्रियों की सूची

खण्ड– (स)

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमति मात्रा	किस्म	कैफियत
1	सरसो तेल	100 किलो	औसत किस्म	पैक टीन एवं ब्रांड का नाम लिखें वजन किलोग्राम में
2	नारियल तेल	600 किलो	औसत किस्म	पैक टीन एवं ब्रांड का नाम लिखें वजन किलोग्राम में
3	टूथपेस्ट	100 किलो	औसत किस्म	अधिकृत संस्था/स्टाकिस्ट से प्राप्त नहीं होने पर क्रय किया जावेगा
4	एसिड बॉटल	150 नग	औसत किस्म	————————
5	सींक झाडू	500 नग	औसत किस्म	————————
6	खजूर झाडू	600 नग	औसत किस्म	————————
7	चूना डेला	30 क्विंटल	औसत किस्म	————————
8	गेरू	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
9	पीली मिट्टी	03 क्विंटल	औसत किस्म	————————
10	पुताई ब्रश 6 इंच वाले	130 नग	औसत किस्म	————————
11	मिट्टी के मटके मय ढक्कन	200 नग	औसत किस्म	15 लीटर क्षमता
12	प्लास्टिक टंग क्लीनर	1500 नग	औसत किस्म	————————
13	टॉयलेट ब्रश	150 नग	औसत किस्म	————————
14	नहाने का साबुन	700 किलो	औसत किस्म	अधिकृत निरमा कंपनी अथवा खादी भण्डार से प्राप्त न होने पर लिया जायेगा।
15	वॉशिंग सॉप	1200 किलो	औसत किस्म	————————
16	वॉशिंग पाउडर	800 किलो	औसत किस्म	————————
17	फिनायल	400 लीटर	औसत किस्म	केन्द्रीय जेल भोपाल से प्राप्त नहीं होने पर ही क्रय किया जावेगा
18	दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड	7000 नग	सुपर मैक्स/ टोपाज	————————
19	15 लीटर की प्लास्टिक बाल्टी	50 नग		————————
20	टूथ ब्रश	1500 नग		
21	हारपिक टॉयलेट क्लीनर	100 नग		
22	एशियन पेन्ट	300 लीटर		
23	डिस्टेंपर एशियन	300 किलो		

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

निविदा सूचना
फार्म–(अ) नियम 6 देखिये
वार्षिक ठेका वर्ष 2026–27 में
वार्षिक दवाईयां क्रय हेतु
खण्ड– (द)

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमति मात्रा	किस्म	कैफियत
1	चिकित्सक परामर्शानुसार बंदियों के उपचार हेतु लगने वाली दवाईयां	चिकित्सक परामर्शानुसार	जेनरिक / ब्राण्डेड कंपनी	शासकीय चिकित्सालय से उपलब्ध न होने पर क्रय की जायेगी।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

निविदा सूचना फार्म–(अ) नियम 6 देखिये

वार्षिक ठेका वर्ष 2026–27 में भवन निर्माण सामग्रियों की सूची

खण्ड– (ड)

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमति मात्रा	दर	किमत
1	सीमेंट	500 नग		
2	नर्मदा रेत	600 घनफिट		
3	गिट्टी	500 घनफिट		
4	लोहे की सरिया	10 क्विंटल		

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

शपथ पत्र–अ

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं ....जो जिला जेल रायसेन के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..............................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..............................के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र–ब

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंअ–3 ब.मृ./2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं ....जो जिला जेल रायसेन के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..............................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..............................के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

उपरोक्त शपथ पत्र प्रपत्र अ,ब में पृथक–पृथक रू. २००–२०० के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी टिकिट लगवाकर प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगें एवं दोनो तरफ से स्केन करवाकर शपथ पत्र संलग्न करने होगें। रू. २०० से कम का शपथ पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

:: निविदा की शर्तें ::

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियों, दवाईयों, स्वच्छता / विधुत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के अंतर्गत ई–टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात् ऑनलाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रू. 500 एवं 5 लाख से अधिक रू. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056–जेलें–800 अन्य प्राप्तियां में करना होगा।
3. निविदाएं खंडवार पृथक–पृथक ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि
01	खाद्यान्न		
02	सब्जियां		
03	दवाईयां, चिकित्सा उपकरण, लैब सामग्री एवं चिकित्सीय जांच		
04	स्वच्छता / विधुत सामग्री		
05.	अन्य सामग्री		

4. वार्षिक ई–निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय,मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05 / वारंट–3 /भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र–(अ) एवं (ब) में पृथक–पृथक 50–50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई–टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक–पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :–

शपथ पत्र–अ

(कारागार अधिनियम–1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं.................................जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..............................के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...........................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.......................के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र–ब

(जेल मुख्यालय का परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं.................................जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..............................के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...........................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.......................के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढाई जा सकेगी।

10 निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराएं जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेगें :–

I. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र
III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न
IV. विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
V. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"।
VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।

VII. खाद्य वस्तुओं / दवाईयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।

VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।

IX. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।

X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित–पत्र।

XI. वस्तुओं के ब्राण्ड से संबंधित–पत्र।

XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा–पत्र।

11 निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन करायां जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं, तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

12 निविदा में उल्लेखित खादयान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्राण्ड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्राण्ड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500–500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो–दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13 नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।

14 निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाई की जाएगी।

15 सब्जियां साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन–व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियां उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएंगी।

16 दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।

17 निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।

18 जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टांप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

19 सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण–पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी/Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20 निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

21 सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इंडेट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

22 प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिटेंड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

23 देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई--पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

24 महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

25 निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by PAWAN KUMAR SHARMA
Date: 2026.05.14 22:14:41 IST
Location: Madhya Pradesh-MP